रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 510]	नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 17, 2015/श्रावण 26, 1937
No. 510]	NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 17, 2015/ SHARAVANA 26 , 1937

वित्त मंत्रालय

(वितीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2015

सा.का.नि. 635(अ)- केंद्रीय सरकार, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 51 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (i) के साथ पठित धारा 46 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (रिपोर्ट, रिटर्न और विवरणी) नियम, 2015 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. परिभाषाएं—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,--

(क) "अधिनियम" से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 अभिप्रेत है ;

(ख) "परिशिष्ट" से इन नियमों से उपाबद्ध परिशिष्ट अभिप्रेत है ;

(ग) "वार्षिक रिपोर्ट" से प्राधिकरण द्वारा नियम 9 के अधीन तैयार की गई रिपोर्ट अभिप्रेत है ;

(घ) "वित्तीय अभिकरण" या "वित्तीय अभिकरणों" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ङ) "वित्त वर्ष" से प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से आरंभ होने वाली उत्तरवर्ती वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि अभिप्रेत है ;

(च) "अन्य अभिकरण" से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि (आईएमएफ) विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (एडीबी), और उद्योग संगम जैसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई), एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स ऑफ इंडिया (एसौचैम), कन्फेडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई) आदि अभिप्रेत है ; और

(छ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

(2) वे सभी शब्द और पद, जो इन नियमों में इस्तेमाल किए गए हैं, किंतु परिभाषित नहीं है और अधिनियम में परिभाषित है, का क्रमश: वहीं अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में है ।

3. त्रैमासिक रिटर्न और विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना—प्राधिकरण केंद्रीय सरकार को परिशिष्ट 1 में विनिर्दिष्ट विषयों पर त्रैमासिक रिटर्न और विवरणियां प्रस्तुत करेगा ।

4. वित्तीय अभिकरणों और अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय के लिए कार्यक्रम—(1) प्राधिकरण, जहां वह आवश्यक समझे, वित्तीय अभिकरणों और अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय करेगा, जिसके अंतर्गत ऐसे अभिकरणों के साथ वृद्धावस्था आय प्रतिभूति का संवर्धन करने के प्रयोजन के लिए ऐसे अभिकरणों के साथ समझौता ज्ञापन में प्रविष्ट होना और पेंशन निधियों के अंशदाताओं के हितों का संरक्षण करना, पेंशन उद्योग का संवर्धन और विकास और इस अधिनियम के उपबंधों को पूरा करना है ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट समझौता ज्ञापन निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेगा, अर्थात् :-

(क) ऐसे ही विषयों के शासन को विनियमित करने में सामंजस्य के लिए वित्तीय अभिकरणों और अन्य अभिकरणों के साथ सहयोग और समन्वय करने के लिए अधिनियम के अधीन उक्त अभिकरणों को शासित करने वाली विधियों की परिधि में ;

(ख) ऐसे ही विषयों पर और विशेषताएं पेंशन उद्योग के संवर्धन और विकास के क्षेत्र में वित्तीय अभिकरणों और अन्य अभिकरणों के साथ सूचना बांटना ;

(ग) प्राधिकरण के कर्मचारियों और वित्तीय अभिकरणों या अन्य अभिकरणों के लिए विनिमय और प्रशिक्षण कार्यक्रम :

परंतु अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ कोई समझौता ज्ञापन केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से किया जाएगा ।

(3) प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष उसके द्वारा वित्तीय अभिकरणों और अन्य अभिकरणों के साथ उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए हाथ में लिए गए कार्यक्रम और कार्यकलापों पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी ।

(4) उपनियम (3) के अधीन प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का भाग होगी ।

5. सूचना का प्रकाशन और अभिलेखों का अनुरक्षण—(1) प्राधिकरण एक वेबसाइट का अनुरक्षण करेगी या अन्य सार्वभौमिक रूप से पहुंचनीय इलैक्ट्रानिकी सूचना निक्षेपागार, जिसमें निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे, रखेगी—

(क) सभी नियमों, विनियमों, आदेशों के ब्यौरे, जिसके अंतर्गत उनके संशोधन हैं ;

(ख) उस प्रक्रिया और रीति की सूचना, जिसमें इस अधिनियम के अधीन आवेदन किए जाने हैं ; और

(ग) प्राधिकरण के कृत्येां के विषय में तात्विक सूचना ।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रकाशित सभी सूचना सरलता से पहुंचनीय और ढूंढे जा सकने वाले पाठ के प्ररूप में होगी ।

(3) प्राधिकरण नियमित अंतरालों पर अपनी वेबसाइट को अद्यतन करेगा और कम से कम एक बार प्रत्येक वर्ष वेबसाइट की क्वालिटी और उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सूचना का पुनर्विलोकन सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए करेगा।

(4) प्राधिकरण उपनियम (3) के अधीन उसके द्वारा किए गए पुनर्विलोकन में पता लगाए गए तथ्यों पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा और ऐसे पुनर्विलोकन पर रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का भाग होगी।

6. प्राधिकरण के व्यय पर रिपोर्ट—(1) प्राधिकरण अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों और कृत्यों को पूरा करने के प्रयोजन के लिए अपने संसाधनों के आबंटन की एक पारदर्शी प्रणाली का अनुरक्षण करेगा।

(2) प्राधिकरण अधिनियम के अधीन वर्ष के दौरान अपने कर्तव्यों और कृत्यों की बाबत उसके द्वारा उपगत व्यय पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा।

(3) प्राधिकरण प्रत्येक दो वर्ष में कम से कम एक बार अपने संसाधनों का पुनर्विलोकन करेगा और ऐसे पुनर्विलोकन के परिणाम की केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट करेगा।

(4) उपनियम (2) में निर्दिष्ट रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग होगी।

7. कार्यकरण मूल्यांकन प्रणाली—(1) प्राधिकरण अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों और कृत्येां के संबंध में हासिल किए जाने वाले लक्ष्यों को अवधारित करेगा और ऐसे उद्देश्यों को हासिल करने में अपनी दक्षता को मापने और मूल्यांकन करने के लिए एक प्रणाली विकसित करेगा।

(2) प्राधिकरण प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए उपनियम (1) के अधीन किए गए मूल्यांकन के आधार पर अपने कार्य निष्पादन की एक रिपोर्ट तैयार करेगा।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग होगी।

8. अन्य रिपोर्टों को प्रस्तुत करना—(1) नियम 3, नियम 4, नियम 5, नियम 6 या नियम 7 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण निम्नलिखित विषयों पर या तो स्वप्रेरणा से या निम्नलिखित विषयों की बाबत उसके द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर, यदि कोई हों, एक रिपोर्ट बनाएगी, अर्थात् :--

(क) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के अधीन उल्लंघन का प्रत्येक मामला ;

(ख) वह परिमाण, जिस तक प्राधिकरण के विनिश्चयों की अनुपालना की गई है ;

(ग) वह परिमाण और रीति, जिसमें प्राधिकरण ने अपने कृत्यों का निर्वहन करते हुए विभिन्न जोखिमों से निपटा ;

(घ) प्राधिकरण के संसाधनों की किसी व्यक्ति द्वारा चोरी या दुर्व्यपदेशन ;

(ङ) प्राधिकरण की शक्तियों का उसके अध्यक्ष, सदस्यों या उसके किसी अधिकारी, कर्मचारी या अभिकर्ताओं द्वारा दुरुपयोग ;

(च) अभिकरण के किसी विनिश्चय का उसके किसी अधिकारी, कर्मचारी या अभिकर्ता द्वारा उल्लंघन ;

(छ) पेंशन उद्योग के संवर्धन और विकास के लिए किसी प्रस्तावित या विद्यमान कार्यकरण के संबंध में ऐसे अन्य अधिकरण, विवरण या विशिष्टियां, जैसा कि केंद्रीय सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे।

(2) प्राधिकरण उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट विषयों पर प्रत्येक वित्त वर्ष में कम से कम एक रिपोर्ट बनाएगी और ऐसी रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग होगी।

9. वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना—(1) प्राधिकरण प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ मास के भीतर केंद्रीय सरकार को उसके कार्यकलापों का सत्य और पूर्ण लेखा-जोखा देते हुए, जिसके अंतर्गत परिशिष्ट 2 में

विनिर्दिष्ट प्ररूप में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अधिनियम के अधीन विनियमित पेंशन निधियों के संवर्धन और विकास के लिए कार्यकलाप हैं, एक रिपोर्ट (इसे इसमें इसके पश्चात् "वार्षिक रिपोर्ट" कहा गया है) प्रस्तुत करेगी ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल हो सकेंगे, अर्थात् :--

(क) लेखा परीक्षा रिपोर्ट और प्रमाणित लेखाओं सहित उन पर प्राधिकरण के संप्रेक्षण ;

(ख) प्राधिकरण की बैठकों के अभिलेखों सहित उसके विचार-विमर्श का कथन ;

(ग) निगम और प्रचालन उद्देश्यों और ध्ययों का कथन ;

(घ) विभिन्न कार्यकलापों के लिए रखे गए भौतिक और वित्तीय अर्थ में वार्षिक लक्ष्यों के साथ उन लक्ष्यों के संदर्भ में वास्तविक कार्य निष्पादन का संक्षिप्त पुनर्विलोकन ;

(ङ) प्राधिकरण के कार्यकलापों और कार्य निष्पादन के संबंध में अध्यक्ष का कथन ;

(च) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान में प्राधिकरण के कार्यकलापों, जिनको चालू वर्ष के दौरान हाथ में लेने की आशा है, का लेखा-जोखा ;

(छ) कोई कथन, जिसे प्राधिकरण का कोई सदस्य शामिल करने की वांछा करें ;

(ज) प्राधिकरण के संगठन ढांचे में परिवर्तन ;

(झ) नियोक्ता – कर्मचारी संबंध और उनसे संबंधित कल्याणकारी कार्यकलाप ;

(ञ) किसी कानूनी बाध्यता को उपदर्शित करने वाला कथन, जिसका प्राधिकरण ने अनुपालन नहीं किया है और ऐसे अननुपालन के कारण ;

(ट) कोई अन्य विषय, जो प्राधिकरण केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट करने के लिए उचित समझे ।

(3) वार्षिक रिपोर्ट पर प्राधिकरण की बैठक में सम्यक रूप से अंगीकार करने के पश्चात् प्राधिकरण के प्रत्येक सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और प्राधिकरण की सामान्य मुद्रा को चस्पा करके अधिप्रमाणित किया जाएगा और उसकी अपेक्षित संख्या में प्रतियां केंद्रीय सरकार को उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत की जाएंगी ।

परिशिष्ट 1

(नियम 3 देखें)

त्रैमासिक रिटर्न, विवरणियां और अन्य विशिष्टियां

1. धारा 15 के अधीन प्राधिकरण द्वारा जारी निदेश ।
2. धारा 16 के अधीन प्राधिकरण द्वारा आदेश की गई जांच ।
3. अंशदाताओं से प्राप्त परिवादों की संख्या और जिनका निपटान किया गया ।
4. धारा 28 के अधीन अधिरोपित शास्तियां ।
5. कोई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र, जो अधिनियम के अधीन अंशदाताओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है ।
6. अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और कवर होने वाली अन्य पेंशन स्कीमों के ब्यौरे, जिसके अंतर्गत उनके साथ सहबद्ध मध्यवर्ती और अन्य निकाय हैं तथा ऐसी प्रणालियों और स्कीमों का कार्यकरण।
7. मध्यवर्तियों द्वारा प्रस्तावित सेवा के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अंशदाताओं द्वारा संदत्त लागत और फीस के ब्यौरे ।

परिशिष्ट 2

[देखें नियम 9(1)]

वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप

भाग 1

नीतियां और कार्यक्रम :

(क) साधारण आर्थिक पर्यावरण और वित्तीय बाजारों के कार्यकरण का पुनर्विलोकन ।

(ख) उन नीतियों और कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन, जो अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा कवर की गई अन्य पेंशन स्कीमों के कार्यकरण पर निम्नलिखित के संबंध में प्रभाव डालते हैं –

(i) भारत और अन्य देशों में पेंशन क्षेत्र का कार्य निष्पादन ;

(ii) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अधिनियम के अधीन कवर की गई अन्य पेंशन स्कीमों से सहबद्ध मध्यवर्ती और अन्य निकाय ;

(iii) अन्य नीतियां और कार्यक्रम, जो अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा कवर की गई अन्य पेंशन स्कीमों के कार्यकरण पर प्रभाव डालते हैं ;

(iv) पेंशन क्षेत्र में अन्य संबंधित क्षेत्रों का निर्धारण और संभावनाएं ।

भाग 2

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अधिनियम के अधीन कवर की गई अन्य पेंशन स्कीमों का विनिधानों के विभिन्न प्रवर्गों में विस्तार और अनावृत्ति, जिसके अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियां, ऋण प्रतिभूतियां और साम्या हैं ।

भाग 3

धारा 14 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में प्राधिकरण के कृत्यों में निम्नलिखित शामिल है—

क. मध्यवर्तियों के रजिस्ट्रीकरण और निलंबन, रद्दकरण आदि और ऐसे रजिस्ट्रीकरण के संबंध में ब्यौरे ; और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या पेंशन स्कीमों से सहबद्ध मध्यवर्तियों के कार्यकलापों का विनियमन ;

ख. स्कीमों के अनुमोदन के ब्यौरे, उनके निबंधन और शर्तें, जिसके अंतर्गत पेंशन निधियों के कारपस के प्रबंधन के लिए मानक तथा ऐसी स्कीमों के अधीन विनिधान के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं ;

ग. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अंशदाताओं का निकलना, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित ब्यौरे हैं :--

i. रिपोर्ट किए गए और निपटाई गई आंशिक निकासियों (अंशदाता का 25 प्रतिशत अभिदाय) की संख्या ;

ii. रिपोर्ट किए गए निकासी दावों की संख्या ;

iii. स्वीकृत और निपटाए गए दावों की संख्या ;

iv. प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार बकाया दावों की संख्या ; और

v. वार्षिकी सेवा प्रदाताओं और अंशदाता द्वारा विकल्प ली गई वार्षिकी स्कीमों के समष्टी स्तर पर ब्यौरे ।

घ. राष्ट्रीय पेंशन स्कीम और अधिनियम के अधीन अन्य पेंशन स्कीमों के अधीन अंशदाताओं के हितों के संरक्षण के लिए हाथ में लिए गए कार्यकलापों के ब्यौरे ;

ङ. अंशदाताओं की शिकायतों के निपटान के लिए तंत्र और ऐसी शिकायतों के निपटान के लिए हाथ में लिए गए कार्यकलाप ;

च. पेंशन प्रणाली से जुड़े हुए व्यावसायिक संगठनों के ब्यौरे ;

छ. प्राधिकरण और मध्यवर्तियों द्वारा संग्रहित आंकड़ों के ब्यौरे, जिसके अंतर्गत अध्ययन, अनुसंधान और परियोजनाएं हाथ में लेना और चालू करना है ;

ज. पेंशन, सेवानिवृत्त बचतें और संबंधित मुद्दों के संबंध में मुद्दों पर अंशदाताओं और साधारण पब्लिक को शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम और मध्यवर्तियों के प्रशिक्षण के ब्यौरे ;

झ. पेंशन निधियों के कार्यकरण के विषय में सूचना और कार्यकरण बैंचमार्क ;

ञ. विनियमित आस्तियों के ब्यौरे ;

ट. वित्त वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा उदगृहीत या संग्रहित फीसें और अन्य प्रभार ;

ठ. ईप्सित सूचना, किए गए निरीक्षण, संचालित अन्वेषण और हाथ में ली गई जांच, जिसके अंतर्गत पेंशन निधियों से संबंधित मध्यवर्तियों और अन्य निकायों या संगठनों की लेखा परीक्षा है ;

ड. निम्नलिखित के ब्यौरे :-

i. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अधिनियम के अधीन अन्य पेंशन स्कीमों के अधीन कवर किए गए अंशदाता (प्रवर्गवार) ;

ii. उपस्थिति के बिन्दु ;

iii. प्रबंधन के अधीन आस्तियों, स्कीमवार ;

iv. केंद्रीय अभिलेख रखने वाला अभिकरण, उसकी भूमिका और कृत्य ;

v. पेंशन निधियां ;

vi. न्यासी बैंक ;

vii. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिरक्षक ;

viii. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास ; और

ix. संकलक आदि सहित, अन्य मध्यवर्ती ।

ढ. पेंशन के क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले अन्य कृत्य ।

भाग 4

(क) पेंशन सलाहकार समिति के कृत्य ;

(ख) धारा 49 की उपधारा (2) के अधीन गठित विभिन्न समितियों का कार्यकरण ;

(ग) बनाए गए या संशोधित विनियम ;

(घ) अन्य कार्यकलाप, जिनका राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अधिनियम के अधीन अन्य पेंशन स्कीमों पर प्रभाव है।

भाग 5

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के संगठनात्मक विषय ।

भाग 6

कोई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र, जो अंशदाताओं के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है ।

भाग 7

प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अधिनियम के अधीन अन्य पेंशन स्कीमों के अंशदाताओं के हित के संरक्षण के लिए किया गया कोई अन्य उपाय ।

[फा.सं. 11/7/2014-पीआर]

डा. शशांक सक्सेना, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2015

G.S.R. 635 (E). —In exercise of the powers conferred by sub-section (2), of section 46 read with sub-section (1) and clause (i) of sub-section (2) of section 51 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Reports, Returns and Statements) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-**(1)—In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013;

(b) "Appendix" means Appendix annexed to these rules;

(c) "annual report" means the report prepared by the authority under rule 9:

(d) "financial agency" or "financial agencies" means the Reserve Bank of India established under section 3 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Securities and Exchange Board of India established under section 3 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) and the Insurance Regulatory and Development Authority established under section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999).

(e) "Financial Year" means the period beginning from the 1st day of April each year to 31st day of March of the succeeding year;

(f) "other agencies" means the national and international agencies such as the International Monetary Fund (IMF), the World Bank, the Asian Development Bank (ADB) and Industry Associations such as Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry (FICCI), Associated Chambers of Commerce of India (ASSOCHAM), Confederation of Indian Industries (CII), etc; and

(g) "section" means a section of the Act.

(2) All other words and expressions used in these rules but not defined and defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Furnishing of quarterly returns and statements. :–**The Authority shall furnish quarterly, to the Central Government, returns and statements on the matters specified in Appendix-I.

4. **Programme for co-ordination with financial agencies and other agencies.—** (1) The Authority may, where it considers necessary, coordinate with the financial agencies *and other agencies*, including entering into memorandum of understanding with such agencies, for the purpose of promoting old age income security and to protect the interests of the subscribers to schemes of pension funds, promotion and development of the pension industry and for carrying out the provisions of the Act.

(2) The memorandum of understanding referred to in sub-rule (1) may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) co-operation and co-ordination with the financial agencies and other agencies in harmonising the regulations governing similar matters within the ambit of the laws governing the said agencies and under the Act;

(b) sharing of information with the financial agencies and other agencies on similar matters and particularly in the area of promotion and development of pension industry.

(c) exchange and training programmes for employees of the Authority and that of the financial agencies or other agencies:

Provided that any memorandum of understanding with the international agencies shall be undertaken with the prior approval of the Central Government.

(3) The Authority shall prepare every year, a report on the programmes and activities undertaken by it in co-ordination with the financial agencies and other agencies for the purposes referred to in sub-rule (1).

(4) The report prepared by the Authority under sub-rule (3) shall form part of the annual report.

5. **Publication of information and maintenance of records.—** (1) The Authority shall maintain a website or any other universally accessible repository of electronic information containing --

(a) details of all rules, regulations, orders, including amendments thereof;

(b) information about the process and manner in which applications under this Act are to be made; and

(c) material information about the functions of the Authority.

(2) All information published under sub-rule (1) shall be made available in an easily accessible and text - searchable format.

(3) The Authority shall update its website at regular intervals and review, at least once every year, the quality of the website and the information specified under sub-rule (1), keeping in view the international best practices.

(4) The Authority shall prepare a report on the findings of the review undertaken by it under sub-rule (3) and report on such review shall form part of its annual report.

6. **Report on expenditure of Authority.—** (1) The Authority shall maintain a transparent system of allocation of its resources for the purposes of carrying out its duties and functions under the Act.

(2) The Authority shall prepare a report of the expenditure incurred by it during the year in respect of its duties and functions under the Act.

(3) The Authority shall review, at least once in every two years, its resources and report the outcome of such review to the Central Government.

(4) The report referred to in sub-rule (2) shall form part of the annual report.

7. **Performance evaluation system. – (1)** The Authority shall determine the goals to be achieved by it relating to its duties and functions under the Act and develop a system to measure and evaluate its efficiency in achieving such goals.

(2) The Authority shall, for each financial year, prepare a report on its performance, based on the evaluation carried out by it under sub-rule (1).

(3) The report prepared under sub-rule (2) shall form part of the annual report.

8. **Submission of other reports.—(1)** without prejudice to rules 3, 4, 5, 6 or rule 7, the Authority shall make a report on the following matters either *suo moto* or on the basis of report of a committee, if any, constituted by it in respect of following matters, namely:--

(a) every case of violation of this Act or of any rule or regulation made thereunder;

(b) the extent to which the decisions of the Authority have been complied with;

(c) the extent to and the manner in which Authority managed various risks while discharging its functions;

(d) theft or misappropriation of resources of the Authority by any person;

(e) abuse of powers of the Authority by its Chairperson, members or by any of its officers, employees or agents;

(f) violation of any decision of the Authority by any of its officers, employees or agents;

(g) such other returns, statements or particulars in regard to any proposed or existing programme for the promotion and development of the pension industry, as the Central Government may, from time to time, require.

(2) The Authority shall make a report on the matters specified in sub-rule (1), at least once in every financial year, and such report shall form part of the annual report.

9**. Submission of annual report.—** (1) The Authority shall, within nine months after the close of each financial year, submit to the Central Government a report (herein referred to as "annual report") giving a true and full account of its activities including the activities for promotion and development of schemes of pension funds regulated under the Act during the previous financial year, in the form specified in Appendix-II

(2) The report referred to in sub-rule (1) may include the following, namely:—

(a) the audit report and its certified accounts along with the observations of the Authority thereon;

(b) statement of deliberations of the Authority, accompanied by the records of its meetings;

(c) statement of corporate and operational goals and objectives;

(d) annual targets in physical and financial terms set for various activities together with a brief review of actual performance with reference to those targets;

(e) statement by Chairperson in relation to the activities and performance of the Authority;

(f) account of the activities of the Authority during the previous year which are likely to be taken up during the current year;

(g) statement which any member of the Authority may wish to include;

(h) changes in the organisational set up of the Authority;

(i) employer-employees relations and welfare activities relating thereto;

(j) statement indicating any statutory obligations that the Authority has not complied with, and reasons for such non-compliance;

(k) such other matters as may be deemed fit by the Authority for reporting to the Central Government.

(3) The annual report shall, after due adoption at a meeting of the Authority, be signed by each member of the Authority and authenticated by affixing the common seal of the Authority and the requisite number of copies thereof shall be submitted to the Central Government within the time specified under sub-rule (1).

APPENDIX I
[See rule 3]

QUARTERLY RETURNS, STATEMENTS AND OTHER PARTICULARS

1. Direction issued by the Authority under section 15.
2. Investigation ordered by the Authority under section 16.
3. Number of complaints received from subscribers and redressed.
4. Penalties imposed under Section 28.
5. Any critical area adversely affecting the subscribers under the Act.
6. Details of the National Pension System and other pension schemes covered under the Act including intermediaries and other entities associated therewith and performance of such systems and schemes;
7. Details of costs and fees paid by the subscribers under the National Pension System for the service offered by the intermediaries;

APPENDIX II
[See rule 9 (1)]

Form of Annual Report

PART I

Policies and programmes:

(a) Review of the general economic environment and the performance of financial markets.

(b) Review of policies and programmes having a bearing on the working of the National Pension System and other pension schemes covered under the Act, having regard to -

(i) performance of Pension Sector in India and other countries

(ii) intermediaries and other entities associated with National Pension System and other pension schemes covered under the Act;

(iii) other policies and programmes having a bearing on the working of the National Pension System and other pension schemes covered under the Act; and

(iv) assessment and prospects in other related areas in pension sector.

PART II

The extent of exposure in the National Pension System and other pension schemes covered under the Act, in different categories of investments including Government securities, debt securities and equities.

PART III

Functions of the Authority in respect of matters specified in section 14 including –

a. details regarding registration of intermediaries and suspension, cancellation, etc., of such registration; and regulation of activities of the intermediaries associated with the National Pension System or the pension schemes;

b. details of approval of schemes, the terms and conditions thereof including norms for the management of corpus of the pension funds and investment guidelines under such schemes;

c. exit of subscribers from the National Pension System including the following details:-

   (i) number of partial withdrawals (25% of contribution of subscriber) reported and settled;

   (ii) number of withdrawal claims reported;

   (iii) number of claims accepted and settled;

   (iv) number of claims outstanding as on 31st March of each year; and

   (v) macro level details about Annuity Service Providers and annuity schemes opted by the subscriber.

d. details of activities undertaken for protection of interests of subscribers under the National Pension System and of other pension schemes underthe Act;

e. mechanism for redressal of grievances of subscribers and activities undertaken for redressal of such grievances;

f. details of professional organisations connected with the pension system;
g. details of collection of data by the Authority and the intermediaries including undertaking and commissioning of studies, research and projects;
h. steps undertaken for educating subscribers and the general public on issues relating to pension, retirement savings and related issues and details of training of intermediaries;
i. information about performance of pension funds and performance benchmarks;
j. details of regulated assets;
k. fees and other charges levied or collected by the Authority during the financial year;
l. details of information sought for, inspections undertaken, inquiries conducted and investigations undertaken including audit of intermediaries and other entities or organisations connected with pension funds

m. details of the following:-
   i. subscribers (category wise) covered under the National Pension System and other pension schemes under the Act;
   ii. points of presence;
   iii. assets under management, scheme wise;
   iv. the central recordkeeping agency, its role and functions;
   v. pension funds;
   vi. the Trustee Bank;
   vii. the Custodian under the National Pension System;
   viii. the National Pension System Trust; and
   ix. other intermediaries including the Aggregator, etc.

n.other functions carried out by the Authority in the area of pensions.

PART IV

a) functioning of Pension Advisory Committee;
b) performance of various committees set up under sub-section (2) of section 49;
c) regulations made or amended;
d) other activities having a bearing on the National Pension System and other pension schemes under the Act.

PART V

Organisational matters of the Pension Fund Regulatory and Development Authority.

PART VI

Any critical area adversely affecting the interest of subscribers.

PART VII

Any other measure taken by the Authority to protect the interest of subscribers to the National Pension System and other pension schemes under the Act.

[F. No. 11/7/2014-PR]
Dr. SHASHANK SAKSENA, Economic Advisor

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.